उनवान : कालूलाल बनाम इस्माइल खां प्रकरण संख्या 05/18

08/01/2026 पत्रावली पेश। अभिभाषक वादी उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार मनोहरथाना से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13-06-2025 का अवलोकन किया गया । मुताबिक रिपोर्ट पटवार मण्डल-छान के राजस्व ग्राम छान के ख0न0 257,258, पर जाने हेतु वादी कालूलाल पुत्र गुलबा मेहर निवासी छान द्वारा रास्ता दिलाने हेतु धारा 251 (अ) के तहत वादी ने ख0न0 259, 253, 254, 226, में होकर रास्ता चाहा गया है। जिनमें से ख0न0 254 तो खाता सरकार के नाम दर्ज है परन्तु ख0न0 259 के सहखातेदारान् द्वारा वादी पर ख0न0 257,258, प्रतिवादी के होने का दावा राजस्व न्यायालय, राजस्व मण्डल-अजमेर में प्रक्रियाधीन है। साथ ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् पर राजस्व न्यायालय, राजस्व मण्डल-अजमेर द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिया हुआ है। जिसका नोट जमाबन्दी पर भी लगा हुआ है। एवं ख0न0 226 में होकर एवं ख0न0 254 की उत्तरी मेड पर होकर वर्तमान में आम रास्ता चालू होना अवगत कराया गया है , जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। परन्तु मौके पर रास्ता चालू है। अतः प्रशनगत आराजी पर राजस्व न्यायालय, राजस्व मण्डल-अजमेर का स्थगन आदेश होने से न्यायालय हाजा में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है | अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है | माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल-अजमेर द्वारा दिए गए अंतिम फैसले के अनुरूप प्रार्थी कार्यवाही किये जाने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो |

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)